

**भारत सरकार**  
**परमाणु ऊर्जा विभाग**  
**11.05.2016 को लोक सभा में**  
**पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 2909**

**वैज्ञानिक अधिकारियों के मूल्यांकन में विसंगतियां**

2909. डॉ. उदित राज:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार को देश में कोटा परमाण्विक ऊर्जा स्टेशन सहित विभिन्न परमाण्विक ऊर्जा स्टेशनों में वैज्ञानिक अधिकारियों के निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली में विसंगतियों का संज्ञान है; और
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय ( डॉ. जितेन्द्र सिंह ) :**

- (क) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, देश के सभी परमाणु बिजलीघरों में कार्यरत वैज्ञानिक अधिकारियों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए सुस्थापित वैज्ञानिक पद्धति अपना रहा है।
- (ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

\*\*\*\*\*